150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

# निदेशालय
## गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक:गृरमु / प्रशि / टी–1 (1– ) 95 / 33251 दिनांक: 01-01-2020

**स्थाई आदेश सं. 01 / 2020**

इस मुख्यालय, के आदेश क्रमांकः गृरमु / प्रशि. / टी–1 (1– ) 95 / 21964–22044 दिनांकः 22.07.2000, 35154–240 दिनांकः 06.11.2001 एवम् 14012–54 दिनांकः 17.06.2011 द्वारा समय–समय पर गृह रक्षा के मानद पदों के लिये आवश्यक योग्यता तथा चयन करने के लिये चयन समिति आदि के सम्बन्ध मे विभिन्न आदेश प्रसारित किये गये थे। मानद पदों पर नियोजित स्वयं सेवक वर्तमान मे उक्त समस्त आदेशों के तहत ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवम् पर्यवेक्षण का कार्य सम्पादित कर रहे है। मानद पदौन्नति की उक्त प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवम् प्रभावी बनाने के लिये इस सम्बन्ध मे पूर्व मे प्रसारित समस्त आदेशों के व्यक्तिकम मे निम्नानुसार नये दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. स्वयं सेवको की मानद पदों पर पदौन्नति प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे 01 अप्रेल को रिक्त मानद पदों की अवधारणा अनुसार की जावेगी। विगत वित्तीय वर्ष मे 55 वर्ष आयु पूर्ण होने, नवीनीकरण नही होने तथा अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता से पृथक किये गये मानद पदधारी स्वयं सेवकों की गणना कर रिक्त मानद पदों का निर्धारण किया जावेगा। उक्त रिक्त मानद पदों की पूर्ति हेतु चयन समिति का गठन कर पदौन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति के लिये समस्त यूनिट द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई तक आवश्यक रूप से प्रस्ताव मुख्यालय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, तथा मुख्यालय से स्वीकृति मिलने पर ही मानद पदों पर पदोन्नति हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जावें।

2. **चयन समिति :**

मानद पदों की रिक्तियों की पूर्ति हेतु चयन समिति में निम्नानुसार सदस्य होगें :–

**I शहरी / ग्रामीण गृह रक्षा के स्वयं सेवकों को ऑनरेरी कम्पनी कमाण्डर / प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदौन्नत करने हेतु :**

(अ) जिला जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवम् बीकानेर के लियें।



Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 1. | समादेष्टा, सम्बन्धित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र | अध्यक्ष |
| 2. | उप समादेष्टा (मुख्यालय द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 3. | कम्पनी कमाण्डर, सम्बन्धित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र | सदस्य सचिव |

(ब) राज्य के अन्य जिलों के प्रशिक्षण केन्द्र, जहाँ उप समादेष्टा पदस्थापित है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | समादेष्टा, स्तर का अधिकारी (मुख्यालय द्वारा मनोनीत) | अध्यक्ष |
| 2. | उप समादेष्टा, सम्बन्धित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र | सदस्य सचिव |
| 3. | कम्पनी कमाण्डर, सम्बन्धित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/मुख्यालय द्वारा मनोनीत। | सदस्य |

**II सीमा गृह रक्षा के सभी प्रकार के ऑनरेरी पदों पर पदौन्नत करने हेतु :**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | गण समादेष्टा, सम्बन्धित सीमा गृह रक्षा दल | अध्यक्ष |
| 2. | उप गण समादेष्टा, सम्बन्धित सीमा गृह रक्षा दल/ वरिष्ठ कम्पनी कमाण्डर | सदस्य सचिव |
| 3. | उप समादेष्टा स्तर का अधिकारी (मुख्यालय द्वारा मनोनीत) | सदस्य |

मानद पदों पर पदौन्नति हेतु मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा सर्वप्रथम रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु योग्य एवम् इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये कम से कम 15 दिवस का समय दिया जावें।

3. **<u>मानद पदों के लिये योग्यता</u>** :

विभिन्न मानद पदों के लिये निम्न प्रकार योग्यता रखने वाले इच्छुक स्वयं सेवकों को ही उक्त पदों पर नियोजित करने पर विचार किया जावेगा, जिसकी योग्यता निम्नानुसार निर्धारित होगी :–

| **1. शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों के लिये** | | |
|---|---|---|
| क्र.स. | रैंक | योग्यता |
| 1 | ऑनरेरी कम्पनी कमाण्डर | ऑनरेरी प्लाटून कमाण्डर पद का 03 वर्ष का अनुभव |
| 2 | ऑनरेरी प्लाटून कमाण्डर | ऑनरेरी हवलदार पद का 03 वर्ष का अनुभव |
| 3 | ऑनरेरी हवलदार | गृह रक्षा सदस्यता का 06 वर्ष का अनुभव |

Scanned by CamScanner

| 2. सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों के लिये | | |
|---|---|---|
| क्र.स. | रैंक | योग्यता |
| 1 | ऑनरेरी सार्जेन्ट | ऑनरेरी कॉरपोरल पद का 03 वर्ष का अनुभव |
| 2 | ऑनरेरी कॉरपोरल | ऑनरेरी लॉस कॉरपोरल पद का 03 वर्ष का अनुभव |
| 3 | ऑनरेरी लॉस कॉरपोरल | सीमा गृह रक्षा सदस्यता का 06 वर्ष का अनुभव |

**4. चयन प्रकिया :**

उपरोक्त योग्यता रखने वाले स्वयं सेवकों को निम्न तीन चरणों में परीक्षा हेतु सम्मिलित किया जावेगा :

**(अ) प्रथम चरण–लिखित परीक्षाः** 20 अंक

लिखित परीक्षा मे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमे 75 प्रतिशत प्रश्न संगठन एवम् उसके कर्तव्यो के बारें मे तथा शेष 25 प्रतिशत प्रश्न देश/राज्य से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के होंगे। लिखित परीक्षा हेतु कुल 20 अंक होगें। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 08 अंक प्राप्त करने होगें। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को पदौन्नति प्रक्रिया से पृथक कर दिया जावेगा।

**(ब) द्वितीय चरण–प्रशिक्षण दक्षता परीक्षाः** 25 अंक

तत्पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित किये जावेगा उक्त में अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :–

**प्रशिक्षण दक्षता परीक्षा पाठ्यक्रम (कुल 25 अंक, न्यूनतम क्वालीफाईग अंक 10)**

| | |
|---|---|
| ड्रिल विद आर्म्स | 10 अंक |
| ड्रिल विदआउट आर्म्स | 05 अंक |
| शारीरिक दक्षता परीक्षा<br>(HHC/ HPC/ LCPL/ CPL के लिये 1 कि.मी दौड़ (समय 04 मिनिट) एवम् HCC तथा सार्जेन्ट लिये 08 KM चाल (समय 70 मिनिट) | 10 अंक |

इस चरण मे अनुतीर्ण अभ्यर्थी को पदौन्नति प्रक्रिया से पृथक कर दिया जावेगा।

**(स) तृतीय चरण–रिकार्ड़ एवम् साक्षात्कार :** 45+10 अंक

**I रिकार्ड –45 अंक**

STANDING ORDER

Scanned by CamScanner

| (अ) | अवार्डस/रिवार्डस (अधिकतम 15 अंक) | अंक |
|---|---|---|
| | 1. राष्ट्रपति पदक | 10 |
| | 2. महानिदेशक, गृह रक्षा | 6 |
| | 3 अतिरिक्त महानिदेशक गृह रक्षा/महानिरीक्षक गृह रक्षा | 4 |
| | 4. उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा | 3 |
| | 5. समादेष्टा, गृह रक्षा/सीमा गृह रक्षा | 2 |
| (ब) | **CTI में आयोजित कोर्सेज में स्थान (अधिकतम 05 अंक)**<br>1. प्रथम स्थान<br>2. द्वितीय स्थान<br>3. उत्तीर्ण<br>नोट :– एक से अधिक कोर्सेस की स्थिति मे सबसे उत्तम परिणाम को माना जावेगा | 5<br>3<br>2 |
| (स) | **शिक्षा/योग्यता एवं अनुभव (अधिकतम 05 अंक)**<br>1. स्नातक<br>2. इण्टर/सीनियर सैकेण्डरी<br>3. मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी | 5<br>3<br>2 |
| (द) | सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान की विशेष योग्यता के लिये II ग्रेड या उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होने पर | 5 |
| (य) | पेशेवर फायर फाइटिंग/आपदा प्रबन्धन/प्राथमिक चिकित्सा कोर्स मे राज्य स्तरीय प्रशिक्षित (अधिकतम 5 अंक) | 5 |
| (र) | जिला स्तरीय परेड़ मे भागीदारी (प्रत्येक भागीदारी के 2½ अंक) (अधिकतम 5 अंक) | 5 |
| (ल) | **गृह रक्षा/सीमा गृह रक्षा सदस्यता का अनुभव (अधिकतम 5 अंक)**<br>11 वर्ष या अधिक का अनुभव<br>10 वर्ष का अनुभव<br>09 वर्ष का अनुभव<br>08 वर्ष का अनुभव<br>07 वर्ष का अनुभव | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |
| (स) | प्रत्येक दण्ड/शास्ति के लिए 02 अंक रिकाड़ में कुल प्राप्तांक में से कम किये जावेगें। | — |

**II साक्षात्कार –10 अंक**

साक्षात्कार में उत्तीर्ण अभ्यर्थी का सामान्य ज्ञान, टर्न आउट, कार्य के प्रति उत्साह, नेतृत्व क्षमता तथा खेलकूद योग्यता आदि के सम्बन्ध मे मूल्यांकन किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, प्रशिक्षण दक्षता परीक्षा, रिकाड़ एवम् साक्षात्कार में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार के पश्चात अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांकों के समग्र मूल्याँकन की गणना कर मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार कर मेरिट के आधार पर मानद पदों पर समादेष्टा/गण समादेष्टा द्वारा पदौन्नति आदेश जारी किये जावेगें।



Scanned by CamScanner

6. मानद पदों पर पदौन्नत स्वयं सेवकों के विरूद्व अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, आपराधिक प्रकरण बाद जाचं प्रमाणित पाये जाने पर समादेष्टा अथवा महासमादेष्टा द्वारा नियमानुसार राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 8 (1) के तहत पदावनति/पृथकीकरण करने की कार्यवाही की जायेगी ।

7. **अन्य विशेष निर्देश :**

(1) स्वयं सेवकों की मानद पदों पर नियुक्ति प्रशिक्षित स्वयं सेवकों मे से ही की जाती है। जिनकी समय अवधि स्वयं सेवकों की भाँति ही अधिकतम 05 वर्ष निर्धारित है। यदि स्वयं सेवकों का नवीनीकरण होता है तो रैंक होल्डर्स का भी नवीनीकरण माना जावेगा। जब तक इनको मानद उच्च पद पर पदौन्नत/निम्न पद पर पदावन्नति नहीं किये जावे, तत्समय धारित मानद पद माना जावेगा।

(2) मानद पदधारी स्वयं सेवकों को भी अन्य स्वयं सेवकों की भाँति ही नियोजित किया जायेगा।

(3) वर्तमान मे राज्य सरकार से मानद पदाधिकारियों के लिये पृथक से अन्य कोई विशेष भत्ता स्वीकृत नही है।

(4) मानद पद पर नियोजित होने वाने वाले स्वयं सेवक अन्य किसी प्रकार के नियोजन के अधिकार प्राप्त नही करते है।

अतः भविष्य में उक्त निर्धारित नीति के अनुरूप ही शहरी/ग्रामीण एवम् सीमा गृह रक्षा के ऑनरेरी पदों पर पदौन्नति हेतु प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

01.01.2020

(राजीव दासोत)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर।



Scanned by CamScanner